

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1966]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936

No. 1966]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

का.आ. 2488(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और पुलिस पीपल्स गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 21 जून, 1989 को वारसा में हस्ताक्षरित करार को संशोधित करने वाले एक प्रोटोकोल (जिसे इसके पश्चात् उक्त प्रोटोकोल कहा जाएगा), अनुबंध में दिए अनुसार, पर भारत गणराज्य की सरकार तथा पुलिस पीपल्स गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त प्रोटोकोल को लागू करने की तारीख 1 जून, 2014 है, जो उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 17 के पैरा 1 के अनुसार उक्त प्रोटोकोल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति के बाद के तीसवें दिन की तारीख है;

और जबकि, उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 17 के पैराग्राफ 1 के उप पैरा (क) में प्रावधान है कि भारत में उक्त करार के उपबंध प्रोटोकोल लागू होने वाले वर्ष के तुरन्त बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन या इसके बाद व्युत्पन्न आय की राशि पर स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में तथा प्रोटोकोल लागू होने वाले वर्ष के तुरन्त बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन या उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में व्युत्पन्न आय की राशि पर आय पर अन्य करों के संबंध में लागू होंगे।

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और पोलिस पीपल्स गणराज्य की सरकार के बीच करारों को संशोधित करने वाले उक्त प्रोटोकोल, जो इसके साथ संलग्न अनुबंध में दिया गया है, के सभी उपबंध भारत संघ में अप्रैल, 2015 के प्रथम दिन, जो कि प्रोटोकोल लागू होने वाले वर्ष के तुरन्त बाद आने वाले वित्तीय वर्ष का प्रथम दिन है, से प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 47/2014/फा. सं. 501/08/1979-एफटीडी-1]

अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव

भारत गणराज्य की सरकार

और

पोलैंड गणराज्य की सरकार

के बीच

प्रोटोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड की सरकार के बीच प्रोटोकोल के साथ 21 जून, 1989 को वारसा में हस्ताक्षरित अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोटोकोल

भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा पोलिस पीपल्स गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधन करने वाले प्रोटोकोल जिस पर 21 जून, 1989 को वारसा में हस्ताक्षर किए गए थे, (जिसे इसके बाद “करार” कहा जाएगा) को निष्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद – 1

इस करार के अनुच्छेद 2 (सम्मिलित कर) का पैराग्राफ 1 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“1. कर जिस पर यह करार लागू होगा वे हैं :

(क) भारत में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत लगाये गये किसी अधिभार तथा उपकर सहित आयकर;
(इसके बाद इसे “भारतीय कर” कहा जाएगा)

(ख) पोलैंड में :

(i) वैयक्तिक आयकर; तथा

(ii) कॉर्पोरेट आयकर

(इसके बाद इसे “पोलिस कर” कहा जाएगा)।”

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएं) में :

1. पैराग्राफ 1 के खंड (क) तथा (ख) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित खंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(क) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

(ख) “पोलैंड” शब्द से अभिप्रेत पोलैंड गणराज्य तथा जब भौगोलिक ज्ञान में प्रयोग किया जाए इसका अर्थ पोलैंड के गणराज्य के क्षेत्र, तथा पोलैंड गणराज्य के प्रादेशिक जल के पास का कोई क्षेत्र जिसके भीतर कानूनों के अंतर्गत तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसरण में समुद्रतटीय प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण तथा उपयोग के बारे में अधिकार तथा इसकी उपमृदा का प्रयोग किया जा सकता है।”

2. पैराग्राफ 1 क खंड (झ) के बाद निम्नलिखित खंड सम्मिलित की जाएगी :

“(ट) भारत के मामले में “राजकोषीय वर्ष” शब्द का अर्थ अप्रैल के प्रथम दिवस से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से है।”

अनुच्छेद 3

करार के अनुच्छेद 4 (राजकोषीय निवासी) में पैराग्राफ 1 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“1. इस करार के प्रयोजनार्थ “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, निगमन के स्थान, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और, इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।”

अनुच्छेद 4

अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) में पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को सम्मिलित किया जाएगा :

“2क. शब्द “स्थायी संस्थापन” में उद्यम द्वारा उन कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के जरिए परामर्शदायी सेवाओं सहित सेवाएं प्रदान करना भी शामिल होगा, जिन्हें उद्यम द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया गया हो, केवल वहीं जहां ऐसे कार्यकलाप (समान अथवा संबंधित परियोजना के लिए) दूसरे संविदाकारी राज्य में 12 महीने की अवधि के भीतर कुल 6 माह की अवधि अथवा उससे अधिक अवधियों के लिए जारी रहते हैं।”

अनुच्छेद 5

करार के अनुच्छेद 10 (संबद्ध उद्यम) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद 10

संबद्ध उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएंगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं

होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।”

अनुच्छेद 6

करार के अनुच्छेद 11 (लाभांश) में पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।”

अनुच्छेद 7

करार के अनुच्छेद 12 (ब्याज) में :

1. पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

2. पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) के खंड (i) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(i) पोलैंड के मामले में बैंक गोस्पोडास्त्वा क्राजोवेगो (बीजीके) ऐसे ब्याज की सीमा में केवल निर्यातों एवं आयातों की वित्त व्यवस्था हेतु आरोप्य है।”

अनुच्छेद 8

करार के अनुच्छेद 13 (रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) में पैराग्राफ 2, 3 और 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायल्टियां” शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं के उपबंध सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।”

अनुच्छेद 9

करार के अनुच्छेद 14 (पूँजीगत अभिलाभ) में पैराग्राफ 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“4. किसी कम्पनी के जिसकी सम्पत्ति में संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के मुख्य रूप से प्रत्यक्ष: अथवा प्रत्यक्षतः शामिल है, के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।”

अनुच्छेद 10

करार के अनुच्छेद 16 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) में, पैराग्राफ 2 को खंड क) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“क. प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्त वर्ष में शुरू होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह माह की अवधि में, जो कुल मिलकर 183 दिनों से अधिक न हो, की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित हों, और”

अनुच्छेद 11

करार के अनुच्छेद 21 (विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त की गई अदायगियां) को हटाया जाएगा और निम्न अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त किए गए भुगतान

1. कोई विद्यार्थी अथवा कारोबारी प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी अदायगियाँ उस राज्य के बाहर के स्रोतों उद्भूत हुई हों।

2. अनुच्छेद 16 के उपबंधों के होते हुए भी, कोई विद्यार्थी या प्रशिक्षु अथवा प्रशिक्षार्थी, जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरन्त पहले अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो प्रथमोल्लिखित राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, उसके द्वारा उस प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रदान की गई परावलम्बित व्यक्तिगत सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी सेवाएं उसकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से सीधे संबंधित हों और आनुषांगिक हो, अथवा उन सेवाओं से प्राप्त पारिश्रमिक उसके भरण-पोषण हेतु साधनों को बढ़ाने के लिए अनिवार्य हों। तथापि, किसी भी स्थिति में इस पैराग्राफ के लाभ प्रथमोल्लिखित राज्य में उसके प्रथमतः आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रदान नहीं किए जाएंगे।”

अनुच्छेद 12

करार के अनुच्छेद 24 (दोहरे कराधान का अपाकरण) के हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. भारत के मामले में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार पोलैंड में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर कर से छूट के रूप में अनुमति देगा जो पोलैंड में अदा किए गए कर की राशि के बराबर होगी।

तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसे छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित किया गया है, जैसा भी मामला हो, जो उस आय से प्राप्त है, जिस पर पोलैंड में कर लगाया जा सकता है।

(ख) जहां करार के किसी उपबंध के अनुसार, भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, वहां भारत ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि को परिकलित करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

2. पोलैंड के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) जहां पोलैंड का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां पोलैंड उस निवासी की आय पर कर से छूट के रूप में अनुमति देगा जो भारत में अदा किए गए कर की राशि के बराबर होगी। तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसे छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित किया गया है, जैसा भी मामला हो, जो उस आय से प्राप्त है, जिस पर पोलैंड में कर लगाया जा सकता है।

(ख) जहां करार के किसी उपबंध के अनुसार, भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, वहां भारत ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि को परिकलित करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद 13

अनुच्छेद 25 (समव्यवहार) में पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही यह उपबंध अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है। तथापि, कर दर में अन्तर 10 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं होगा।"

अनुच्छेद 14

करार के अनुच्छेद 27 (सूचना का आदान-प्रदान) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 27**सूचना का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी प्रकार एवं विवरण के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ आनुमानिक रूप से संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. पैराग्राफ-1 के अंतर्गत किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ-1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्वोक्त के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का प्रयोग दूसरे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की सप्लाई करने से मना करने की अनुमति देना है कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

6. एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राज्य क्षेत्र में व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने और संबंधित व्यक्तियों की लिखित सहमति से रिकॉर्डों की जांच करने के लिए प्रवेश की अनुमति दे सकता है। द्वितियोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के साथ मीटिंग के समय एवं स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा।

7. एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को द्वितियोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर जांच के उपयुक्त भाग उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है।

8. यदि पैराग्राफ 7 में उल्लिखित अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो जांच करने वाले संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को जांच के समय एवं स्थान, जांच को पूरा करने के लिए नामोदिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिकारी तथा जांच संचालित करने के लिए प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के बारे में अधिसूचति करेगा। कर जांच संचालित करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले संविदाकारी राज्य द्वारा किए जाएंगे।”

अनुच्छेद - 15

करार के अनुच्छेद 28 (वसूली में सहायता) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद - 28

करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. जब किसी संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत किसी व्यक्ति के प्रति राजस्व दावा करने से पहले परिसम्पत्तियों को अनुपलब्ध बनाकर अंतिम उपाय करता है, तो दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, यदि प्रथमोल्लिखित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया हो, इसके कानून के उपबंधों में अनुमत सीमा में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस व्यक्ति

6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यक्षीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

(क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है;

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

(क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।

अनुच्छेद -16

अनुच्छेद 28 के बाद नए अनुच्छेद को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद -28 क
लाभों का परिसीमन

इस करार के लाभ निम्न को उपलब्ध नहीं होंगे :

(क) संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को (जो व्यक्ति न हो) यदि ऐसे निवासी के सृजन अथवा मौजूदगी का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजना हो;

(ख) संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा की गई कोई व्यवस्था अथवा संव्यवहार के संबंध में, यदि ऐसी व्यवस्था अथवा लेन-देन का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजना इस करार के तहत लाभों को प्राप्त करना था।”

अनुच्छेद-17

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य राजनैतिक चैनलों के जरिए दूसरे को इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए इसके कानून द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में अधिसूचित करेगा। प्रोटोकॉल ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना से प्राप्ति की तारीख के बाद तेरह दिन में लागू होगा और इसका निम्न प्रभाव होगा :

(क) भारत में :

- (i) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में – उस वर्ष के अगले अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियां के, जिसमें प्रोटोकॉल लागू होता है;
- (ii) आय पर अन्य करों के संबंध में—उस वर्ष के अगले अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियां के, जिसमें प्रोटोकॉल लागू होता है;

(ख) पोलैंड में :

- (i) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में—उस वर्ष के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियों पर, जिस वर्ष में प्रोटोकॉल लागू होता है;
- (ii) आय पर अन्य करों के संबंध में—उस वर्ष के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियों पर, जिस वर्ष में प्रोटोकॉल लागू होता है;

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंध इन अनुच्छेदों में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में लागू होंगे भले ही ऐसे मामले इस प्रोटोकॉल को लागू करने से पहले की तारीख हो अथवा इसके किन्हीं उपबंधों को लागू करने की तारीख से।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

पोलैंड में वर्ष दो हजार तेरह के जनवरी माह के उनतीसवें दिन हिन्दी, पोलिश एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। हिन्दी एवं पोलिश पाठ में अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

(श्रीमती प्रणीत कौर)
विदेश राज्य मंत्री

पोलैंड गणराज्य की

सरकार की ओर से

(श्री रडोस्ला सिकोर्सकी)
विदेश मंत्री

MINISTRY OF FINANCE**(Departemnt of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2014

S.O. 2488(E).—Whereas, a Protocol (hereinafter referred to as the said Protocol) as set out in the Annexure, was entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Polish People's Republic amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Polish People's Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income that was signed at Warsaw on the 21st day of June, 1989;

And whereas, the date of entry into force of the said Protocol is the 1st day of June, 2014, being the thirtieth day after the date of receipt of latter of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Protocol, in accordance with paragraph 1 of article 17 of the said Protocol;

And whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 1 of article 17 of the said Protocol provides that the provisions of the said Agreement shall have effect in India in respect of taxes withheld at source to amounts of income derived on or after the first day of the fiscal year next following the year in which the Protocol enters into force and in respect of other taxes on income to amounts of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of the fiscal year next following the year in which the Protocol enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol amending the agreements between the Government of the Republic of India and the Government of Polish People's Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the first day of April, 2015, being the first day of the fiscal year next following the year in which the Protocol enters into force.

[Notification No. 47/2014 F. No. 501/08/1979-FTD-I]

AKHILESH RANJAN, Jt. Secy.

PROTOCOL BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, SIGNED AT WARSAW ON THE 21ST DAY OF JUNE, 1989

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Poland desiring to conclude a Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Polish People's Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed at Warsaw on the 21st day of June, 1989 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Paragraph 1 of Article 2 (TAXES COVERED) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph:

“1. The taxes to which this Agreement shall apply are:

a) in India, the income-tax including any surcharge and cess thereon imposed under the Income-tax Act, 1961;

(hereinafter referred to as “Indian tax”)

b) in Poland:

(i) the personal income tax, and

(ii) the corporate income tax,

(hereinafter referred to as “Polish taxes”).”.

ARTICLE 2

In Article 3 (GENERAL DEFINITIONS) of the Agreement:

1. Clauses (a) and (b) of paragraph 1 shall be deleted and replaced by the following clauses:

“a) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

b) the term "Poland" means the Republic of Poland and, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of Poland, and any area adjacent to the territorial waters of the Republic of Poland within which, under the laws of Poland and in accordance with international law, the rights of Poland with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed and its sub-soil may be exercised;”.

2. After clause (j) of paragraph 1 the following clause shall be inserted:

“(k) The term “fiscal year”, in the case of India, means the financial year beginning on the first day of April.”.

ARTICLE 3

In Article 4 (FISCAL RESIDENCE) of the Agreement, paragraph 1 shall be deleted and replaced by the following paragraph:

“1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political sub-division or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.”.

ARTICLE 4

In Article 5 (PERMANENT ESTABLISHMENT), the following paragraph shall be inserted after Paragraph 2:

“2A. The term “permanent establishment” shall also include the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through its employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where such activities continue (for the same or a connected project) in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate six months within any 12-month period.”.

ARTICLE 5

Article 10 (ASSOCIATED ENTERPRISES) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.”.

ARTICLE 6

In Article 11 (DIVIDENDS) of the Agreement, paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following paragraph:

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which dividends are paid.”.

ARTICLE 7

In Article 12 (INTEREST) of the Agreement:

1. Paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following paragraph:

“2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.”.

2. Clause (i) of sub paragraph (b) of paragraph 3 shall be deleted and replaced by the following clause:

“(i) in the case of Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;”.

ARTICLE 8

In Article 13 (ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES) of the Agreement, paragraphs 2, 3 and 4 shall be deleted and replaced by the following paragraphs:

“2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright including copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use any industrial, commercial, or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term “fees for technical services” as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 15 and 16, as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.”.

ARTICLE 9

In Article 14 (CAPITAL GAINS) of the Agreement, paragraph 4 shall be deleted and replaced by the following paragraph:

“4. Gains from the alienation of shares of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.”.

ARTICLE 10

In Article 16 (DEPENDENT PERSONAL SERVICES) of the Agreement, clause a) of the paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following clause:

“(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and;”.

ARTICLE 11

Article 21(PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Notwithstanding the provisions of Article 16, remuneration which a student, or an apprentice or trainee who is or was, immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, receives for dependent personal services rendered in that first-mentioned State shall not be taxable in that State, provided that such services are directly related, and incidental, to his education or training or the remuneration for those services is necessary to supplement the resources for his maintenance. However, in any case the benefits of this paragraph shall not be granted for a period of more than five consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned State.”.

ARTICLE 12

Article 24 (ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In case of India, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Poland, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in Poland.

Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Poland.

(b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2. In case of Poland, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in India, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such income or capital gains derived from India.

(b) Where in accordance with any provision of this Agreement, income derived by a resident of Poland is exempt from tax in Poland, Poland may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.”.

ARTICLE 13

In Article 25 (NON DISCRIMINATION), paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following paragraph:

“2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. However, the difference in tax rate shall not exceed 10 percentage points.”.

ARTICLE 14

Article 27 (EXCHANGE OF INFORMATION) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

6. A Contracting State may allow representatives of the competent authority of the other Contracting State to enter the territory of the first-mentioned Contracting State to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Contracting State shall notify the competent authority of the first-mentioned Contracting State of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

7. At the request of the competent authority of one Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Contracting State to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Contracting State.

8. If the request referred to in paragraph 7 is acceded to, the competent authority of the Contracting State conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Contracting State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Contracting State for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Contracting State conducting the examination.”

ARTICLE 15

Article 28 (ASSISTANCE IN COLLECTION) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 28

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. When a Contracting State, under its law, takes interim measures of conservancy by freezing assets before a revenue claim is raised against a person, the competent authority of the other Contracting State, if requested by the competent authority of the first-mentioned State, shall take interim measures for freezing the assets of that person in that other Contracting State to the extent permitted in the provisions of its law.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be

- (a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
- (b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
- (c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- (d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”.

ARTICLE 16

After Article 28, a new Article shall be inserted as follows:

“Article 28A

LIMITATION OF BENEFITS

Benefits of this Agreement shall not be available

- (a) to a resident (not being an individual) of a Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such a resident; or
- (b) with respect to any arrangement or transaction undertaken by a resident of a Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such an arrangement or transaction,

was to obtain the benefits under this Agreement.”.

ARTICLE 17

1. Each of the Contracting States shall notify through diplomatic channels to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the latter of the notifications referred to above and shall have effect:

(a) in India:

- (i) in respect of the taxes withheld at source – to amounts of income derived on or after the first day of the fiscal year next following the year in which the Protocol enters into force;
- (ii) in respect of other taxes on income - to amounts of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of the fiscal year next following the year in which the Protocol enters into force.

(b) in Poland:

- (i) in respect of the taxes withheld at source – to amounts of income derived on or after the first of January of the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force;
- (ii) in respect of other taxes on income - to amounts of income derived in any fiscal year beginning on or after the first of January of the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 14 and 15 of this Protocol shall apply in respect of any matter referred to in these Articles even if such matters pre-date the entry into force of this Protocol or the effective date of any of its provisions.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Poland this 29th day of January, 2013 in Hindi, Polish and English languages, all the texts being equally authentic. In case there is any divergence between the Hindi and Polish texts, the English text shall prevail.

**For the Government of
the Republic of India**

**(Mrs. Preneet Kaur)
Minister of State for
External Affairs of the
Government of India**

**For the Government of
the Republic of Poland**

**(Mr. Radoslaw Sikorski)
Minister of Foreign Affairs of
the Republic of Poland**